

कथन — एम. राजू राव

थाना	—	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	—	09/2015
धारा	—	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	—	एम. राजू राव पिता श्री एम. नागेश्वर राव
उम्र	—	40 वर्ष
पता	—	हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बोधघाट मकान नं. 33 जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	—	94242-80019
व्यवसाय	—	संचालक, श्री दुर्गा राईस मिल, चिरकुटी कुरन्दी, जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)

—00—

मैं एम. राजू राव पूछे जाने पर बता रहा हूँ कि मैं श्री दुर्गा राईस मिल चिरकुटी कुरन्दी, जगदलपुर जो कि उड़ीसा रोड़ में स्थित है का संचालक हूँ। मैं विगत 05 वर्षों से उक्त राईस मिल का संचालन कर रहा हूँ। मैं वर्ष 2014-15 से पूर्व नान को कस्टम् मिलिंग कर चावल की आपूर्ति किया करता था। मैं नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक एवं क्वालिटी इंस्पेक्टर के द्वारा छोटे-छोटे कारणों से तंगाये जाने के कारण इस वर्ष नागरिक आपूर्ति निगम को चावल कस्टम् मिलिंग कर देने का अनुबंध नहीं किया हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार अन्य राईस मिलर्स से नान के अधिकारियों द्वारा स्थान देने, क्वालिटी से समझौता करने के एवज में प्रति लॉट 1000रु की दर से क्वालिटी इंस्पेक्टर तथा 08रु. प्रति क्विंटल की दर से जिला प्रबंधक के नाम से कलेक्शन होता है, जिसमें से 04रु. नान मुख्यालय भेजा जाता है। मैंने पूर्व में नान के अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं असहयोगात्मक रवैये के लिये जिलाधीश बस्तर, डी.एम.ओ. कार्यालय बस्तर, डी.एम. नान एवं एस.डब्ल्यू.सी. बस्तर के कार्यालय में शिकायत किया हूँ तथा समय-समय पर सूचना के अधिकार में भी जानकारी मांगते रहा हूँ। यही मेरा कथन है।

दिनांक 06.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)

निरीक्षक

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ़